



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1942 (श0)
(सं० पटना 510) पटना, मंगलवार, 25 अगस्त 2020

सं० 08 / आरोप-01-58 / 2015-6650 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

7 जुलाई 2020

श्री सत्यनारायण मंडल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-688 / 2011 तत्कालीन अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमदाबाद, कटिहार के विरुद्ध वर्ष 2007 में रिलिफ मद में इनपुट अनुदान के वितरण में अनियमितता बरते जाने संबंधि आरोप पत्र उपलब्ध कराते हुए अनुशासनिक कार्यवाई का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक 982 दिनांक 25.01.2017 द्वारा श्री मंडल से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, परन्तु स्मारोपरांत स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तत्पश्चात विचारोपरांत जिलाधिकारी, कटिहार से श्री मंडल के विरुद्ध नये प्रपत्र में आरोप पत्र साक्ष्य/साक्षियों की सूची सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जो सम्प्रति अप्राप्त है।

इस बीच श्री मंडल की मृत्यु दिनांक 06.05.2020 को हो जाने के फलस्वरूप मामले की समीक्षा की गयी एवं पाया गया कि विभागीय पत्रांक 8811 दिनांक 18.07.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में दंड संसूचन से पूर्व सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाने के संबंध में निम्न निर्णय संसूचित है:-

“विभागीय कार्यवाही के संचालन के क्रम में, विचारण के किसी भी चरण में, आरोपित सेवक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा मृत्यु की सूचना का उल्लेख करते हुए संबंधित आरोप प्रकरण को संविकास्त कर दिया जाएगा।”

अतः उक्त निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री सत्यनारायण मंडल, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-688/2011 तत्कालीन कारा अधीक्षक, मंडल कारा, सहरसा (सम्प्रति मृत) के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिव महादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 510-571+1 0-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>